

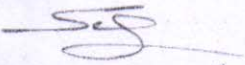
प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर 0.404 हे० एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला 0.560 हे०) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.964 हे० वन भूमि न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह०



समन्वयक/प्रधानाचार्य
प्रयोक्ता एजेन्सी
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली

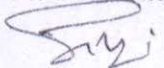
ह०

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

ह०

जिलाधिकारी
चमोली

नोट:- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।



समन्वयक/प्रधानाचार्य

प्रयोक्ता एजेन्सी

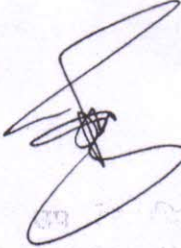
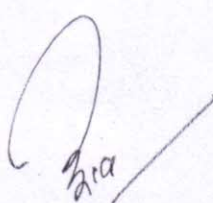
राजकीय पॉलीटेक्निक

पोखरी, चमोली

गोपेश्वर



प्रभागीय वनाधिकारी

उ० प्र० व० अ०
गोपेश्वर (गोपेश्वर)

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 8 अगस्त, 2013

विषय- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक-यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, चमोली को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।


समन्वयक/प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
पोखरी, चमोली